



**कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

क्रमांक/121/प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023

सुकमा, दिनांक 29.1.2024

प्रति,

✓ प्रभारी अधिकारी
(एन.आई.सी.)
जिला-सुकमा(छ.ग.)

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-ग की उपधारा (1) के तहत भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु।

संदर्भ :- भारत का राजपत्र- CG-DL-E-18012024-251435 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना, नई दिल्ली, 17 जनवरी 2024

--00--

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, जगदलपुर-सुकमा-कोण्टा मार्ग के कि.मी.98.400 से 98.800(गीदम नाला) पर वृहद पुल निर्माण कार्य हेतु, ग्राम गीदम के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-ग की उपधारा (1) के तहत भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग सुकमा द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः संलग्न, भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को जिले के राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(Signature)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)
सुकमा, दिनांक 29.1.2024

पृ.क्रमांक/121A/प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023

प्रतिलिपी:-

- 1- कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा), जिला-सुकमा(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ। एवं कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु अधिसूचना की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।
- 2- तहसीलदार, तहसील-गादीरास को सूचनार्थ एवं संलग्न अधिसूचना को कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सुकमा को सूचनार्थ एवं संलग्न अधिसूचना को कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु।
- 4- सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत रामपुरम को सूचनार्थ एवं संलग्न अधिसूचना को कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु।
- 5- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) सुकमा के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु।

(Signature)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012024-251435
CG-DL-E-18012024-251435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2024/पौष 27, 1945

No. 209]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2024/PAUSHA 27, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2024

का.आ. 218(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3488(E) तारीख 03/08/2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में NH30 के कि.मी. 59.000 से कि.मी. 59.600 (गुटेर नाला), कि.मी. 96.800 से कि.मी. 98.400 (गीदम नाला) एवं कि.मी. 99.800 से कि.मी. 100.600 (साई मंदिर के पास) में नवीन पुल निर्माण तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18.08.2023" को "हिन्दसत" और "चैनल इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-30 पर कि.मी. 59.000 से कि.मी. 59.600 (गुटेर नाला), कि.मी. 96.800 से कि.मी. 98.400 (गीदम नाला) एवं कि.मी. 99.800 से कि.मी. 100.600 (साई मंदिर के पास) में नवीन पुल निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: सुकमा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गादीरास					
गांव का नाम: गीदम					
1	RF118	सरकारी (आरक्षित वन)	कृषि भूमि	0.224	(वनाधिकार पट्टाधारी) श्री फगनुराम पिता नंदा जाति धुरवा
Total				0.224	

[फा. सं. RO/NH/CG/LA/2023-24/3D1]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2024

अभय जैन, उप सचिव

S.O. 218(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 3488(E) Dated:03/08/2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-30 in the stretch of land from km. 59.000 to km. 59.600 (Guter Nala), km. 98.400 to km. 98.800 (geedam Nala) and km. 99.800 to km. 100.600 (near Sai tempal) in the District of Sukma in the state of Chhattisgarh.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Hindustan" and "Channel India" both dated 18.08.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of NH-30 on the stretch from km. 59.000 to km. 59.600 (Guter Nala), km. 98.400 to km. 98.800 (geedam Nala) and km. 99.800 to km. 100.600 (near Sai tempal) for construction of bridge in the state of chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH			District: SUKMA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gadirash					
Village: Geedam					
1	RF118	Government (Reserve Forest)	Agriculture Land	0.224	(Forest Right Patta Holder) Fagnuram S/o Nanda casta Dhurva
Total				0.224	

[F. No. RO/NH/CG/LA/2023-24/3D1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.